

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 61/2024

उनवान

1. नारायण पुत्र श्री मेघा रेगर नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)
2. श्री भगवान पुत्र श्री मेघा रेगर नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)
3. श्री भैरू पुत्र श्री मेघा रेगर नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)
4. श्री तेजमल पुत्र श्री प्यारचंद रेगर नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)
5. श्रीमती मंजू देवी पत्नि श्री नारायण लाल रेगर नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री तुलछा पुत्र श्री नाथू नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री रामसुख कुमावत नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री अम्बा लाल पुत्र श्री रामसुख कुमावत नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्री जोधराज पुत्र श्री लक्ष्मण जाट नि० बिहारीपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहन नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्रीमती रामु देवी पत्नि श्री शम्भू लाल कुमावत नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. श्रीमती धापू पत्नि श्री शंकर लाल कुमावत नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
8. श्री जगदीश लाल पुत्र श्री काशीराम कुमावत नि० काबरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.05.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 193 की आ.न. 1297/144 रकबा 1.9600 है०, कुल किता 01 कुल रकबा 1.9600 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 193 की आ.न. 1297/144 रकबा 1.9600 है०, कुल किता 01 कुल रकबा 1.9600 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।



आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (उख.)